छत्तीसगढ़ सूचना आयोग

निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड,
शंकरनगर, रायपुर

<u>अपील क्रमांक 76/2006</u>

श्री देवेन्द्र दानी, ... **अपीलार्थी**
ब्लाक अध्यक्ष,
भारतीय किसान संघ,
धमधा, जिला—दुर्ग

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी . . . . . **प्रतिअपीलार्थी**
तहसीलदार,
तहसील बेरला,
बेरला, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

:: आदेश ::

(30 मई 2006)

अपीलार्थी श्री देवेन्द्र दानी के द्वारा जन सूचना अधिकारी, तहसीलदार, बेरला को प्रस्तुत आवेदन पत्र में चाही गई जानकारी पूर्ण रूप से न देने तथा उसके विरूद्ध की गई अपील को अपीलीय अधिकारी, अपर कलेक्टर, दुर्ग के आदेश के बाद भी जानकारी न देने से व्यथित होकर यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण यह है कि आवेदक ने सूचना का अधिकार के अंतर्गत तहसीलदार, बेरला से आावेदन पत्र में उल्लिखित दस्तावेजों की जानकारी चाही थी। निर्धारित अवधि में जानकारी प्राप्त न होने पर अपीलार्थी ने अपीलीय अधिकारी, अपर कलेक्टर, दुर्ग को अपील प्रस्तुत की। अपीलीय अधिकारी ने अपील स्वीकार की तथा जन सूचना अधिकारी, तहसीलदार, बेरला को निर्देशित किया कि आवेदक को निःशुल्क जानकारी प्रदान की जावे। जन सूचना अधिकारी के द्वारा आवेदक को जानकारी प्रदान नहीं की गई, जिसके फलस्वरूप यह द्वितीय अपील आयोग के समक्ष प्रस्तुत की।

आयोग के द्वारा जन सूचना अधिकारी, तहसीलदार, बेरला तथा अपीलीय अधिकारी को नोटिस दिया गया। दोनों पक्षों को सुना गया। जन सूचना अधिकारी ने अपने जवाब में उल्लेख किया कि वांछित जानकारी दिनांक 02—01—2006 को

तैयार कर ली गई थी, किंतु आवेदक दिनांक 5–12–2005 को आवेदन पत्र देने के पश्चात् कभी उपस्थित नहीं हुए और न ही निर्धारित शुल्क जमा किया। प्रथम अपीलीय अधिकारी के निर्देश प्राप्त होने पर जन सूचना अधिकारी राज्य राजस्व एवं भू–अभिलेख महासंघ के आव्हान पर 10–02–2006 से 02–03–2006 तक हड़ताल पर था। दिनांक 03–03–2006 को आवेदक को डाक के जरिए जानकारी भेजी गई तथा पुनः वांछित जानकारियाँ दिनांक 31–03–2006 को पंजीकृत डाक से अपीलार्थी को भेजी, जिसे अपीलार्थी ने 03–04–2006 को प्राप्त किया। अपीलार्थी ने अपने जवाब में बतलाया कि 03–03–2006 का पत्र उसे प्राप्त नहीं हुआ। प्रकरण के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी को अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित अवधि में जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। अपील न्यायालय के निर्देश के बाद भी निर्धारित अवधि में जानकारी नहीं दी गई। किन्तु प्रकरण में आये तथ्यों से स्पष्ट है कि जन सूचना अधिकारी राज्य राजस्व एवं भू–अभिलेख महासंघ के आव्हान पर हड़ताल पर थे और उस अवधि में किसी अन्य को जन सूचना अधिकारी का कार्य नहीं दिया गया था। जन सूचना अधिकारी हड़ताल से वापस लौटने पर सूचना देने की कार्यवाही की। स्पष्ट है कि जन सूचना अधिकारी ने जानबूझकर सूचना देने में विलम्ब नहीं किया है और ऐसा कोई मंतव्य भी नहीं प्रतीत होता। अतः जन सूचना अधिकारी, तहसीलदार, बेरला पर कोई शास्ति आरोपित नहीं की जाती, किन्तु उन्हें यह सचेत किया जाता है कि वे सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आवेदकों को जानकारी समय पर देने के लिए सतर्क रहें। अधिनियम के प्रावधानों के पालन के प्रति सचेत रहें। अपील का इस निर्देश के साथ निराकरण किया जाता है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त